6.4.1

कार्यालय–आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 91 /366/आउशि/आडिट/2017 नया रायपुर, दिनांक 12/05/2017

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय
जगदलपुर
जिला–जगदलपुर(छ0ग0)

विषय :– **विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2007 से 03/2017 तक का प्रेषण ।**

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय का विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि **10/2007 से 03/2017** तक का संलग्न कर प्रेषित है। कृपया प्रतिवेदन की कंडिकाओं का उत्तर मय अभिलेखों के दो प्रतियों में इस कार्यालय को निराकरण हेतु भेजने की ब्यवस्था करें।

प्रतिवेदन का उत्तर निम्न प्रारूप में आड़ी सीट में तैयार किया जावे तथा संचालनालय की टीप हेतु पर्याप्त स्थान छोड़े ।

// प्रारूप //

कंडिका क्रमांक	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	संचालनालय की टीप

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

अपर संचालक (3111S2)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ0ग0)

H/C

422
19/05/17

E/verma sir/aadit lettr

शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
जिला–जगदलपुर के विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि
10/2007 से 03/2017 तक

प्रस्तावना:–शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय,जगदलपुर जिला–जगदलपुर के अवधि 10/2007 से 03/2017 तक के अभिलेखों का विभागीय अंकेक्षण दिनांक 18.04.2017 से 22.04.2017 तक विभागीय अंकेक्षण दल के श्री यू0के0गजेन्द्र,वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं श्री ए0आर0वर्मा,वरिष्ठ अंकेक्षक द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत थे :–

1	प्राचार्य	डॉ.एम.आई.मेमन	01.10.07 से 09.01.12 तक
		श्री एस.पी.तिवारी	10.01.12 से 02.02.12 तक
		डॉ0श्रीमती व्ही.विजयलक्ष्मी मूर्ति	03.02.12 से 25.08.14 तक
		डॉ0श्रीमती रश्मी शुक्ला	26.08.14 से लगातार
2	ग्रंथपाल	श्री हरपिंदर सिंह	10/07 से 06/15 तक
		श्रीमती बबीता दीवान	06/15 से निरंतर
3	कीडा अधिकारी	डॉ0नीता नायर	10/07 से 07/08 तक
		श्री एम.एल.नंदेश्वर	07/08 से 07/09 तक
		सुश्री नीता वाजपेयी	07/09 से 09/12 तक
		डॉ0योगेन्द्र मोतीवाला	09/12 से 07/16 तक
		श्री श्यामाचरण	07/16 से लगातार
4	मुख्य लिपिक	–	
5	लेखापाल	कु0ललिता कश्यप	01.07.10 से लगातार
6	कैशियर	कु0ललिता कश्यप	01.07.10 से लगातार
7	स्टोर कीपर	कु0ललिता कश्यप	01.07.10 से लगातार

पूर्व में किए गये अंकेक्षण की स्थिति :– शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय,जगदलपुर जिला–जगदलपुर के अभिलेखों का महालेखाकार, कोष लेखा एवं पेंशन एवं अन्य अभिकरण द्वारा किए गए अंकेक्षण की स्थिति निम्नानुसार है–

कमांक	आडिट का प्रकार	आडिट की अवधि	प्रतिवेदन का उत्तर भेजने का कमांक व दिनांक	लंबित कंडिकाओं की संख्या
1	महालेखाकार	10/96 से 12/2000 तक	160/16.08.16	–
2	कोष लेखा एवं पेंशन	–	–	–
3	विभागीय	08/01 से 09/07	212/07.10.13	–

नगदी शिलक का भौतिक सत्यापन :— शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय,जगदलपुर जिला—जगदलपुर द्वारा संधारित कैशबुक में प्रविष्ठ अंतिम शिलक का चेस्ट में रखी गई नगदी राशि से सत्यापन किया गया जो निम्नानुसार है :—

क्र.	कैशबुक का प्रकार	कैशबुक पृष्ठ क्र0 व दिनांक	कैशबुक में अंतिम शिलक	चेस्ट में पाई गई राशि
1	शासकीय कैशबुक	37 / 31.03.17	00=00	00=00
2	पी0डी0कैशबुक	68 / 30.03.17	45999=00	45999=00
3	ए0एफ0कैशबुक			
4	यू0जी0सी0कैशबुक	41 / 06.03.17	00=00	00=00
5	जनभागीदारी कैशबुक	168 / 12.01.17	216=00	216=00
6	रेडक्रास	—	00=00	00=00
7	एन0एस0एस0 कैशबुक	—	00=00	00=00

कंडिका क्रमांक—1:— प्रतिभूति की राशि जमा करायें जाने बाबत् :— वित्त संहिता भाग—एक के नियम 282 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत ग्रंथपाल, क्रीडाधिकारी, लेखापाल, कैशियर, स्टोर प्रभारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों से प्रतिभूति की राशि जमा कराया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि नहीं ली गई। कृपया संबंधितों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि रू. 1000.00 जमा कराया जाकर आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका—2— ए0 एफ0 मद की राशि का रिजर्व फंड में जमा न करने बावत् :— ए0 एफ0 नियम—14 के अनुसार ए0एफ0मद में प्राप्त राशि एवं 30 जून तक ब्यय न किए जा सके ऐसी अब्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा किया जाना चाहिए ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में ए0एफ0मद में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत राशि एवं 30 जून को शेष अब्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा नहीं किया गया है । अतः ऐसी राशि की गणना वर्षवार किया जाकर उसे रिजर्व फंड में जमा किया जा कर आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका—03— काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बाबत् :— महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से काशनमनी ली जाती है तथा उनके महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांगे जाने पर लौटाया जाता है, तथा जो राशि नहीं लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए ।

अंकेक्षण अवधि में काशनमनी की राशि को राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है ।

कृपया काशनमनी की राशि जो छात्रों को नहीं लौटायी गई है कि वर्ष 2002—2003 से नियमानुसार गणना कर राजसात किया जावे तथा इस राजसात राशि को कोषालय में जमा कर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका –04 :–चालानों का सत्यापन कोषालय से कराये जाने बावत् :–

छ0ग0कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 53(5)में यह प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय राशि जब कोषालय/बैंक में जमा कराई जाती है तब जमा राशिके चालान की मूल प्रति को कैशबुक में दर्ज करने के पूर्व कोषालय/बैंक में राशि जमा होने बावत् पूर्णतः संतुष्ट होने पर कैशबुक में प्रविष्ठि को प्रमाणित करना चाहिए । कोषालय में जमा राशि का मिलान नहीं किया जाना अथवा लंबे अंतराल बाद किया जाना नियमों के प्रतिकूल है तथा गंभीर लापरवाही का प्रतीक है । अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकर्षित कर निर्देशित किया जाता है कि कोषालय/बैंक में चालान द्वारा जमा की गई राशियों का मिलान कोषालय अभिलेख से कर यह सुनिश्चित किया जाय कि शासकीय धन राशि वास्तव में शासकीय कोष में जमा हो गई है ।

कंडिका कमांक–05 – अशासकीय शुल्क की राशि शासकीय मद में जमा किए जाने बावत्– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न अशासकीय शुल्क की राशि को चालान द्वारा शासकीय मद में जमा किया गया है । कृपया इस राशि को शासकीय मद से अशासकीय मद में जमा कर आडिट को अवगत करावें–

चालान क0	201/04.09.11	रू0 2951/–
	162/06.09.11	रू0 279/–
	178/15.09.14	रू0 21020/–

कंडिका क0–06 पी0डी0खाते का मिलान न होने बावत्:–अंकेक्षण अवधि में अशासकीय मद के व्हाउचरों एवं कैशबुक का परीक्षण करने पर पाया गया कि पी0डी0में जमा राशि का कोषालय से मिलान नहीं किया गया है जिससे यह ज्ञान नहीं हो सका कि कैशबुक में जमा राशि एवं कोषालय में जमा राशि बराबर है अथवा अंतर है ।

छ0ग0शासन,वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक 2117/97/सी/चार दि0 16.12.97 एवं कोषालय संहिता भाग–1के सहायक नियम 584 से 590 तक में दिए गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित पी0डी0खाते के प्रशासक से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष बराबर है यदि इसमें अंतर दृष्टिगोचर होता है तो अंतर की राशि का सत्यापन तत्काल किया जावे।

कृपया पी0डी0खाते में जमा राशि का कोषालय से दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में मिलान कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका –07–भुगतान की पावती न होने बावत् :– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न राशियों के भुगतान की पावती उपलब्ध नहीं पाया गया–

क्रमांक	विवरण	चैक क्र0 व दिनांक	राशि
1	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	200950 / 01.10.07	20050 / –
2	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	200949 / 01.10.07	9600 / –
3	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	205124 / 06.12.07	520 / –
4	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	205519 / 12.12.07	3440 / –
5	पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0,रायपुर	227887 / 01.10.08	21100 / –

छ0ग0कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 306 के अनुसार समस्त भुगतान की पावतियां आवश्यक है। पावती के अभाव में भुगतान आडिट को मान्य नहीं है।

कृपया पावती प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका –08 :–ए0एफ0मद के लिए कैशबुक का संधारण न किए जाने बावत्:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ए0एफ0मद के लिए कैशबुक का संधारण न किया जाकर एक ही कैशबुक में ए0एफ0 एवं पी0डी0 मद की राशि का संधारण किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है। इससे यह जानकारी प्राप्त नहीं हो सका कि ए0एफ0 मद में कितनी राशि प्राप्त हुई,कितना ब्यय हुआ एवं कितनी राशि शेष बचत है। नियमानुसार ए0एफ0 एवं पी0डी0मद की राशि के लिए अलग–2 कैशबुक का संधारण किया जाना चाहिए।

कृपया ए0एफ0 एवं पी0डी0मद की राशि के लिए अलग–2 कैशबुक का संधारण कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका–09–सी.पी.एस.अंशदान काटौती का रजिस्टर संधारण बावत्– अंकेक्षण अवधि में महाविद्यालय में नव नियुक्त अधिकारी / कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका का परीक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 01.11.2004 से लागू अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत इन्हें आवंटित पी.आर.ए.एन.की प्रविष्ठि सेवा पुस्तिका में नहीं पाई गई। तथा एनेक्सचर–3 अनुसार एनेक्सचर–5 में इनके वेतन से प्रतिमाह काटी जाने वाली अंशदान की राशि के लिए लेजर का संधारण नहीं किया गया है। कृपया उपरोक्त कमियों की पूर्तीकर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका –10–जनभागीदारी मद से मजदूरी का भुगतान करने के संबध में:– जनभागीदार समिति मद के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न सूची अनुसार राशि रूपये 3,97,848 / –मजदूरी के भुगतान के लिए ब्यय किया गया है।

जनभागीदारी समिति के निधि के संचालन हेतु छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–73–6–96 सी–3–36 दिनांक 30.09.1996 के नियम (छ) अनुसार निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जावेगा । सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा ।

नियम (झ) अनुसार समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगा, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेंगी ।

अतः मजदूरी पर किया गया ब्यय नियमानुसार नहीं होने के कारण आडिट को मान्य नहीं है। कृपया मजदूरी के लिए किए गये ब्यय राशि रूपये 3,97,848/—की अनुमति/घटनोत्तर स्वीकृति शासन से प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें ।

कंडिका —11:—जनभागीदारी समिति के बैंक खाते के संबंध में:— जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि समिति का निम्न बैकों में खाता खोला गया है—

1 भा0स्टे0बैंक,जगदलपुर— 10460910181 जनभागीदारी से शुल्क जमा एवं ब्यय हेतु।

1 भारतीय स्टेट बैंक,जगदलपुर— 3009503949—ज0भा0स0से विषय संचालन हेतु।

इन खातों के लेन देन हेतु अलग—2 कैशबुक का संधारण किया गया है परन्तु व्हाउचर एक जाई रूप से रखा गया है,जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन सा व्हाउचर किस मद का है तथा किस खाते से ब्यय किया गया है।

कृपया पृथक—2 खातों से ब्यय किए जाने वाली राशि का व्हाउचर पृथक—2 रखा जा कर आडिट को अवगत करावे।

कंडिका —12—राशि की प्रविष्ठि कैशबुक में नहीं किए जाने वाबत्——अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया गया है परन्तु इसकी प्रविष्ठि कैशबुक में नहीं की गई है—

दिनांक	राशि
24.01.12	9100/—
18.02.12	7250/—
10.02.12	5700/—
29.03.12	21450/—
11.06.12	35500/—
11.06.12	12150/—
28.07.13	29900/—

कृपया इसकी प्रविष्ठि कैशबुक में किया जाकर आडिट को अवगत करावें।

2/ निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया । यदि राशि कोषालय में जमा की गई है तो उसकी जमा पर्ची की प्रति उपलब्ध करावे अथवा संबंधित से राशि वसूल कर जमा किया जाकर आडिट को अवगत करावें—

डी0एफ0सी0 पृ0कमांक व दिनांक	राशि
97/25.07.12	9600/—
98/25.07.12	9900/—
	9300/—
99/26.07.12	9900/—
99/30.07.12	9300/—
100/—03.09.12	1200/—
93/08.07.12 से 97/25.07.12	67200/—

49200 (58200

कंडिका –13–जनभागीदारी समिति के मद से स्नेह सम्मेलन पर ब्यय करने बावत् :–
अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से स्नेह सम्मेलन हेतु राशि रू0 8481/–ब्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क0 456/05.02.16 पर किया गया है।

छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के ब्यय के संबंध में जारी निर्देश कमांक(छ)अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियो के लिए नहीं किया जावेगा।

अतः उपरोक्त ब्यय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका –14–ज0भा0 समिति के मद से न्यायालयीन प्रकरण पर ब्यय करने बावत् :–
अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से श्री धनश्याम सिंह ठाकुर से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण हेतु राशि रू0 11000/–ब्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क0 395/25.08.14 पर किया गया है।

छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के ब्यय के संबंध में जारी निर्देश कमांक(छ)अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियो के लिए नहीं किया जावेगा।

अतः उपरोक्त ब्यय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।

कंडिका –15–ज0भा0 समिति के मद से स्वल्पाहार पर ब्यय करने बावत् :– अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से स्वल्पाहार हेतु राशि रू0 2765/–ब्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क0 357/24.09.13 पर किया गया है।

छ0ग0शासन,उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के ब्यय के संबंध में जारी निर्देश कमांक(छ)अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग,निर्वाचन,स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियो के लिए नहीं किया जावेगा।

अतः उपरोक्त ब्यय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।

SA/CHD

कनिष्ठ लेखाधिकारी
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर–छ0ग0

जनभागीदारी समिति से मजदूरी का भुगतान का विवरण

माह	राशि	Sub Vr No
10/07	7000=00	51/07.11.07
11/07	7000=00	61/01/12/07
12/07	7000=00	80/02.1.08
1/08	7000=00	93/2-2-08
2/08	7000=00	104/1.3.08
3/08	7000=00	117/3.4.08
4/08	7000=00	123/1.5.08
6/09	8000=00	139/4.6.08
7/09	8000=00	156/5.7.08
8/09	8000=00	168/8.8.08
9/09	8000=00	179/4-9-08
	8000=00	188/6.10.08
10/09	3000=00	
10/09 से 11/09	8000=00	212/2.12.8
		223/7.02.09
11/09	9500=00	72/1.2.10
12/09	9500=00	82/3.3.10
01/10	9500=00	95/3.4.10
02/10	9500=00	100/30-4.10
03/10	9500=00	103/1.6.10
4/10	9500=00	106/1.7.10
5/10	9500=00	122/4.8.10
6/10	9500=00	112/3.9.10
7/10	9500=00	
8/10	~~9500~~ 8740=00	123/4.10.10
9/10	9500=00	127/1.10.10
10/10	9500=00	139/1.12.10
11/10	9500=00	158/1.1.11
12/10	9500=00	170/1.2.11
01/11	9500=00	177/01.3.11
2/11	~~8000~~ =00	189/4-4-11
3/11	7600	

4/11	9500=00	199/30.4.11
5/11	9500=00	213/2-5.11
6/11	9383=00	224/2.7.11
7/11	9500=00	254/4.8.11
8/11	9500=00	266/6.9.11
9/11	9500=00	273/5.10.11
10/11	18000=	278/21.10.11
	6000=00	278/21.10.11
11/11	13500=00	138
	14250=00	144
12/11	7250=00	145/3.2.12
1/12	7250=00	145/3.2.12
2/12	7250=00	150
3/12	7250=00	151/19.5.12
4/12	7250=00	155/30.6.12
5/12	7250=00	329/6.8.12
6/12	3625=00	

Total 3,97,848=00

(Rs Three Lakh Ninety Seven thousand eight hundred forty eight only)

SA/CHA.

कनिष्ठ लेखाधिकारी
उच्च शिक्षा संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, जगदलपुर
Phone : 07782-225216 (O).

क्र0 / २५३ / स्था0 / 2017 / जगदलपुर, दिनॉक २५ / 09 / 2017

प्रति,

अपर संचालक (आडिट)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर, (छ0ग0)

विषयः विभागीय लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10 / 2007 से 03 / 2017
संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 91 / 366 / आउशि / आडिट / 2017 नया रायपुर दिनांक 12 / 05 / 2017

----000----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10 / 2007 से 03 / 2017 तक की कंडिकावार उत्तर संलग्न प्रारूप में भरकर दो प्रतियों में उचित कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

संलग्नः— दो प्रति।

प्राचार्य
शा0दन्ते0स्नातको0महि0महाविद्यालय
जगदलपुर(छ.ग.)

कार्यालय–आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय,
ब्लॉक–सी–30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/01 /366/आउशि/आडिट/2017 नया रायपुर, दिनांक 2/1/2018

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय दंतेश्वरी महिला महाविद्यालय
जगदलपुर, जिला–जगदलपुर (छ0ग0)

विषय :– **विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/07 से 03/17 तक का प्रेषण।**

संदर्भः– **आपका पत्र क0 243/स्था/17 दिनांक 25.09.2017.**

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय का विभागीय अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/2007 से 03/2017 तक पर विभागीय टीप अंकित कर प्रेषित है।

कृपया लंबित कंडिकाओं के संबंध में समाधान कारक उत्तर प्रेषित करे,जिससे कि इनका निराकरण किया जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक(वित्त)
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ0ग0)

706/18
05.01.18

E/verma sir/aadit lettr

क्र.	कंडिका की नकल	प्राचार्य का उत्तर	संचालनालय की टीप
1	**प्रतिभूति की राशि जमा करायें जाने बाबत्** :- वित्त संहिता भाग–एक के नियम 282 के अनुसार महाविद्यालय में कार्यरत ग्रंथपाल, क्रीड़ाधिकारी, लेखापाल, कैशियर, स्टोर प्रभारी एवं प्रयोगशाला तकनीशियनों से प्रतिभूति की राशि जमा कराया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों से प्रतिभूति की राशि नही ली गई। कृपया संबंधितों से नियमानुसार प्रतिभूति की राशि रू. 1000.00 जमा कराया जाकर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों से प्रतिभूति रूपये 1000/– जमा करवाकर तत्काल आडिट को अवगत करा दिया जायेगा। संलग्न:–01	यथावत।
2	**ए0एफ0मद की राशि का रिजर्व फंड में जमा न करने बाबत्**:– ए0 एफ0 नियम–14 के अनुसार ए0एफ0मद में प्राप्त राशि एवं 30 जून तक व्यय न किए जा सके ऐसी अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा किया जाना चाहिए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में ए0एफ0मद में प्राप्त राशि का 5 प्रतिशत राशि एवं 30 जून को शेष अव्ययित राशि को रिजर्व फंड में जमा नहीं किया गया है। अतः ऐसी राशि की गणना वर्षवार किया जाकर उसे रिजर्व फंड में जमा किया जा कर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार 30 जून तक व्यय न किये गये ए.एफ.मद की 5 प्रतिशत एवं शेष अव्ययित राशि की वर्षवार गणना कर रिजर्व फंड में जमा किये जाने हेतू प्रक्रिया की जा रही है उसके पश्चात आडिट को अवगत करा दिया जाएगा।	यथावत।
3	**काशनमनी की राशि राजसात किए जाने बाबत्** :- महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों से काशनमनी ली जाती है तथा उनके महाविद्यालय छोडने के तीन वर्ष के भीतर उनके मांगे जाने पर लौटाया जाता है, तथा जो राशि नहीं लौटायी जाती उसे राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना चाहिए।	निर्देशानुसार काशनमनी की राशि वर्ष 2003–2004 से 2013–14 तक वर्षवार गणना कर राजसात किये जाने हेतू प्रक्रियाधीन में है कोषालय में जमा करने के पश्चात चालान की छायाप्रति देकर आडिट को अवगत करा दिया जाएगा।	यथावत। संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

	...राजसात कर कोषालय में जमा किया जाना नहीं पाया गया जिससे शासन को राजस्व की हानि हो रही है। कृपया काशनमनी की राशि जो छात्रों को नहीं लौटायी गई है कि वर्ष 2002–2003 से नियमानुसार गणना कर राजसात किया जावे तथा इस राजसात राशि को कोषालय में जमा कर चालान की छायाप्रति से आडिट को अवगत करावें।		
4	**<u>चालानों का सत्यापन कोषालय से कराये जाने बाबत्</u>** :– छ0ग0 कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 53(5) में यह प्रावधान है कि शासकीय कर्मचारी द्वारा शासकीय राशि जब कोषालय/बैंक में जमा कराई जाती है तब जमा राशि के चालान की मूल प्रति को कैशबुक में दर्ज करने के पूर्व कोषालय/बैंक में राशि जमा होने बाबत् पूर्णतः संतुष्ट होने पर कैशबुक मं प्रविष्ठि को प्रमाणित करना चाहिए। कोषालय में जमा राशि का मिलान नहीं किया जाना अथवा लंबे अंतराल बाद किया जाना नियमों के प्रतिकूल है तथा गंभीर लापरवाही का प्रतीक है। अतः उपरोक्त की ओर ध्यान आकर्षिक कर निर्देशि किया जाता है कि कोषालय/बैंक में चालान द्वारा जाम की गई राशियों का मिलान कोषालय अभिलेख से कर यह सुनिश्चित किया जाय कि शासकीय धन राशि वास्तव में शासकीय कोष में जमा हो गई है।	आडिट के निर्देशानुसार शासकीय/अशासकीय चालान को कोषालय द्वारा सत्यापित किये जाने हेतू चालान रजिस्टर संधारित किया गया है आगामी आडिट में प्रस्तुत किया जायेगा।	यथावत |
5	**<u>अशासकीय शुल्क की राशि शासकीय मद में जमा किए जाने बाबत्</u>**– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न अशासकीय शुल्क राशि को चालान द्वारा शासकीय मद में जमा यिका गया है। कृपया इस राशि को शासकीय मद से अशासकीय मद में जमा कर आडिट को	आडिट के निर्देशानुसार अशासकीय चालान की राशि को शासकीय मद से आहरित कर अशासकीय मद से जमा हेतू महालेखाकार एवं कोषालय को पत्र प्रेषित किया गया है प्रक्रिया पूर्ण होते ही आडिट को अवगत करा दिया जायेगा। संलग्न :– 1,2,3,4	यथावत | संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

<table>
<tr><td></td><td>चालान क्र0 201 / 04.09.11 रू0 2951 /
162 / 06.09.11 रू0 279 /
178 / 15.09.14 रू0 21020 /</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>पी0डी0खाते का मिलान न होने बाबत्:– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय मद्द के व्हाउचरों एवं कैशबुक का परीक्षण करने पर पाया गया कि पी0डी0 में जमा राशि का कोषालय से मिलान नही किया गया है जिससे यह ज्ञान नहीं हो सका कि कैशबुक में जमा राशि एवं कोषालय मे जमा राशि बराबर है अथवा अंतर है।
छ0ग0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2117 / 97 / सी / चार दि0 16.12.97 एवं कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 584 से 590 तक में दिए बये प्रावधान अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित पी0डी0खाते के प्रशासक से यह प्रमाण पत्र लिया जावे कि उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष बराबर है यदि इसमें अंतर दृष्टिगोचर होता है तो अंतर की राशि का सत्यापन तत्काल किया जावे।
कृपया पी0डी0खाते में जमा राशि का कोषालय से दिनांक 31.03.2017 की स्थिति में मिलान कर आडिट को अवगत करावें।</td><td>अंकेक्षण दल के निर्देशानुसार पी.डी. पासबुक में बचत राशि का कोषालय से सत्यापन करवाकर आडिट को अवगत करा दिया जायेगा।
संलग्न :– 01</td><td>यथावत् ।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>भुगतान की पावती न होने बाबत् :– अंकेक्षण अवधि में अशासकीय कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्न राशियों के भुगतान की पावती उपलब्ध नहीं पाया गया–
<table><tr><td>क्र.</td><td>विवरण</td><td>चैक क्र0 व दिनांक</td><td>राशि</td></tr><tr><td>1</td><td>पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर</td><td>200950 / 01.10.07</td><td>20050 / –</td></tr></table></td><td>निर्देशानुसार पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर से नामांकन एवं शारिरीक कल्याण शुल्क की पावती हेतू पत्र प्रेषित किया गया है पावती प्राप्त होते ही आडिट को अवगत करा दिया जायेगा।
संलग्न :– 1,2,3</td><td>यथावत
संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
</table>

	पं0रविशंकर शुक्ल / 200949 / 9600/– (see below)		
	<table><tr><td>2</td><td>पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर</td><td>200949 / 01.10.07</td><td>9600 / –</td></tr><tr><td>3</td><td>पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर</td><td>205124 / 06.12.07</td><td>520 / –</td></tr><tr><td>4</td><td>पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर</td><td>205519 / 12.12.07</td><td>3440 / –</td></tr><tr><td>5</td><td>पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर</td><td>227887 / 01.10.08</td><td>21100 / –</td></tr></table> छ0ग0कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 306 के अनुसार समस्त भुगतान की पावतियां आवश्यक है। पावती के अभाव में भुगतान आडिट को मान्य नहीं है। कृपया पावती प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें।		
8	**एएफ0मद के लिए कैशबुक का संधारण न किए जाने बाबत् :–** अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ए0एफ0मद के लिए कैशबुक का संधारण न किया जाकर एक ही कैशबुक में ए0एफ0 एवं पी0डी0 मद की राशि का संधारण किया जा रहा है जो नियमानुसार नहीं है। इससे यह जानकारी प्राप्त नही हो सका कि ए0एफ0मद में कितनी राशि प्राप्त हुई कितना व्यय हुआ एवं कितनी राशि शेष बचत है। नियमानुसार ए0एफ0 एवं पी0डी0मद की राशि के लिए अलग–2 कैशबुक का संधारण किया जाना चाहिए। कृपया ए0एफ0 मद एवं पी0डी0 मद की राशि के लिए अलग–2 कैशबुक का संधारण कर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार ए.एफ. एवं पी.डी. मद की अलग–अलग केशबुक संधारित कर अगली आडिट में प्रस्तुत की जायेगी।	यथावत् ।
9	**सी.पी.एस.अंशदान कटौती का रजिस्टर संधारण बाबत्:–** अंकेक्षण अवधि में महाविद्यालय में नव नियुक्त अधिकारी / कर्मचारियों की सेवा	अंकेक्षण के निर्देशानुसार सेवापुस्तिका में PRAN नंबर की प्रविष्टी कर दी गई है 1.11.2004 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी / कर्मचारियों की प्रतिमाहCPF कटौती की रजिस्टर संधारण कर लिया गया है अगली आडिट के समय प्रस्तुत किया जायेगा।	निर्णित ।

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, संचालनालय

	पुस्तिका का परीक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 01.11.2004 से लागू अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत इन्हें आबंटित पी.आर.ए.एन.की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं पाई गई। तथा एनेक्सचर–3 अनुसार एनेक्सचर–5 में इनके वेतन से प्रतिमाह काओी जाने वाली अंशदान की राशि के लिए लेजर का संधारण नहीं किया गया है। कृपया उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर आडिट को अवगत करावें।		
10	**<u>जनभागीदारी मद से मजदूरी का भुगतान करने के संबंध में</u>** :– जनभागीदारी समिति मद के कैशबुक एवं वहाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि संलग्न सूची अनुसार राशि रूपये 3,97,848/– मजदूरी के भुगतान के लिए व्यय किया गया है। जनभागीदारी समिति के निधि के संचालन हेतु छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ–73–6–96 सी–3–36 दिनांक 30.09.1996 के नियम (छ) अनुसार निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जावेगा। सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत,विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नही किया जावेगा। नियम (झ) अनुसार समिति अपने कार्य केक लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगा, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति की राशि में से मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेंगी। अतः मजदूरी पर किया गया व्यय नियमानुसार नहीं होने के कारण आडिट को मान्य नही है। कृपया मजदूरी के लिए किए गये व्यय राशि रूपये 3,97,848/– की अनुमति/घटनोत्तर स्वीकृति शासन से प्राप्त कर आडिट को अवगत करावें।	लेखा निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में लेख है जनभागीदारी मद से मजदूरी में किये गये भुगतान पर आपत्ति की गई है किन्तु उक्त अवधि में महाविद्यालय में एक मात्र भृत्य होने के कारण महाविद्यालयीन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतू जनभागीदारी समिति की अनुशंसा से कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी किन्तु शासन द्वारा कर्मचारियों के नियुक्त के पश्चात उक्त कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। अतः निवेदन है कि जनभागीदारी मद से मजदूरी के रूप में 397848/– रू. राशि का भुगतान कर्मचारियों को किया गया है उक्त भुगतान की गई राशि की अनुमति प्रदाय कर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान कर आडिट आपत्ति का निराकरण करने की कृपा करें।	यथावत | संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

<table>
<tr><td>11</td><td><u>जनभागीदारी समिति के बैंक खाते के संबंध में</u> :– जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि समिति का निम्न बैंकों में खाता खोला गया है–
1 भा0स्टे0बैंक,जगदलपुर– 10460910181 जनभागीदारी से शुल्क जमा एवं व्यय हेतु।
1 भारतीय स्टेट बैंक, जगदलपुर–3009503949– ज0भा0स0से विषय संचालन हेतु।
इन खातों के लेन देन हेतु अलग–2 कैशबुक का संधारण किया गया है परन्तु व्हाउचर एक जाई रूप से रखा गया है, जिससे यह ज्ञात नहीं हो सका कि कौन सा व्हाउचर किस मद का है तथा किस खाते से व्यय किया गया है।
कृपया पृथक–2 खाते से व्यय किए जाने वाली राशि का व्हाउचर का पृथक–2 रखा जा कर आडिट को अवगत करावे।</td><td>आडिट के निर्देशानुसार जनभागीदारी समिति से संचालित दोनों बैंक खातों के व्हाउचर को पृथक–पृथक सुव्यवस्थित कर सूचनार्थ प्रेषित है। कृपया टीप कर आडिट निराकरण करने का कष्ट करें।</td><td>यथावत्।</td></tr>
<tr><td>12(1)</td><td><u>राशि की प्रविष्ठि कैशबुक में नही किए जाने बाबत्</u> :– अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया गया है परन्तु इसकी प्रविष्ठि कैशबुक निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया गया है परन्तु इसकी प्रविष्ठि कैशबुक में नहीं की गई है:–
दिनांक — राशि
24.01.12 — 9100/–
18.02.12 — 7250/–
10.02.12 — 5700/–
29.03.12 — 21450/–
11.06.12 — 35500/–
11.06.12 — 12150/–
28.07.13 — 29900/–</td><td>1) आडिट के निर्देशानुसार कंडिका में लिखित राशि को केशबुक में प्रविष्ठी कर लिया गया है। कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करेंगे।</td><td>निरस्त।
संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)</td></tr>
</table>

कृपया इसकी प्रविष्टि कैशबुक में किया जाकर आडिट को अवगत करावें।

(2) निम्नानुसार शुल्क की राशि कोषालय में जमा किया जाना नही पाया गया। यदि राशि कोषालय मे जमा की गई है तो उसकी जमा पर्ची की प्रति उपलब्ध करावे अथवा संबंधित से राशि वसूल कर जमा किया जाकर आडिट को अवगत करावें–

डी0एफ0सी0 पृ0क्रमांक व दिनांक	राशि
97 / 25.07.12	9600 / –
98 / 25.07.12	9900 / –
	9300 / –
99 / 26.07.12	9900 / –
99 / 30.07.12	9300 / –
100 / –03.09.12	1200 / –
93 / 08.07.12से97 / 25.07.12	67200 / –

2) आडिट के निर्देशानुसार कंडिका–12 (02) के संबंध में लेख है कि आपके द्वारा उल्लेखित राशि लाल स्याही से लिखित कुलयोग राशि को दर्शाई गई है किन्तु नीली स्याही से लिखित कुलयोग राशि को दर्शाई नही गई है। जबकि शिक्षा सत्र 2012–13 में निम्नानुसार शुल्क विषय संचालन एवं जनभागीदारी मद में लेकर राशि बैंक में जमा किया गया है।

अतः आपसे निवेदन है कि संयुक्त रूप से शुल्क लिये जाने के कारण जनभागीदारी खाते में त्रुटिवश 17400 / – रू0 अधिक जमा की गई है एवं विषय संचालन खाते में 17404 / – रू0 कम जमा हुई है उक्त राशि को विषय संचालन खाते में समायोजित कर दिया गया है एवं कम जमा हुई 4 / – रू0 को जमा कर अन्य जमा पर्चीयों के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है कृपया टीप कर आपत्ति निराकरण करने का कष्ट करें। प्राप्ति तथा जमा विवरण तथा जमा पर्ची अवलोकन हेतु संलग्न है:–

दिनांक	पे.क्र.	ज.भा. संयुक्त खाता (विषय संचालन)	ज.भा.	दिनांक	बैंक में जमा	
					10460910181	30095039499
10.7.12	92	53906	8400	12.7.12	8400	53906
11.7.12से 18.7.12	92 से 93तक	79950	17400	19.7.12	17400	79950
22.7.17से 25.7.17	94 से 97तक	(1)235277	67200	24.7.12	25000	100000
		(2)35160	9600	27.7.12	20000	90000
25.7.17	98	(1)22032	9900	1.8.12	38200	112713
		(2)24644	9300	7.8.12	18600	57724
26.7.17	99	36870	9900	4.9.12	32000	58000
30.7.12	99	76148	9300	20.11.12	900	14300
3.9.12	100	5710	1200			
19.11.12	100	14300	900			
योग		583997	143100		160500	566593

13 **जनभागीदारी समिति के मद से स्नेह सम्मेलन पर व्यय करने बाबत्:–**

अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से स्नेह सम्मेलन हेतु राशि रू0 8481 / – व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्टि

जनभागीदारी निधी के व्यय संबंधी दिशा निर्देश की जानकारी नही होने के कारण वार्षिक स्नेह सम्मेलन् पर राशि 8481 रू0 का व्यय किया गया है। (कलेक्टर / अपर कलेक्टर के द्वारा जनभागीदारी के मद से व्यय किये जाने हेतू आदेशित किया गया था पत्र संलग्न है) भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही की जायेगी कृपया टीप कर आडिट आपत्ति निराकृरण करने का कष्ट करेंगे।

संलग्न :–01

निरिति

संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, संचालनालय
रायपुर (छ.ग.)

	परीक्षण करने पर पाया गया कि इस मद से श्री ... [illegible] 456 / 05.02.16 पर किया गया है। छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निध के व्यय के संबंध में जारी निर्देश क्रमांक (छ) अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। अतः उपरोक्त वयय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।		
14	**ज0भा0 समिति के मद से न्यायायीन प्रकरण पर व्यय करने बाबत्** :– अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया ि कइस मद से श्री घनश्याम सिंह ठाकुर से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण हेतु राशि रू0 11000/– व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क्र0 395/25.08.14 पर किया गया है। छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 73–6–96 सी–3–36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के व्यय के संबंध मं जारी निर्देश क्रमांक (छ) अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। अतः उपरोक्त वयय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।	आडिट के निर्देशानुसार श्री घनश्याम सिंह ठाकुर के न्यायालयीन प्रकरण में पैरवी करने हेतू जनभागीदारी मद से 11000 रू0 की राशि व्यय किया गया है चुंकि यह कार्य शासकीय (जनभागीदारी के अन्तर्गत) होने के कारण जनभागीदारी मद से व्यय किया गया है भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नही की जायेगी कृपया आपत्ति को विलोपित करने का कष्ट करेंगे।	विलोपित संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

15	[illegible] समिति के मद से स्वल्पाहार पर व्यय करने बाबत् :— अंकेक्षण अवधि में जनभागीदारी समिति के कैशबुक एवं व्हाउचरों के परीक्षण करने पर पाया गया किइस मद से स्वल्पाहार हेतु राशि रू0 2765/— व्यय किया गया है तथा उसकी प्रविष्ठि कैशबुक के सब व्हा0क्र0357/24.09.13 पर किया गया है। छ0ग0शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्र0 73—6—96 सी—3—36 दि0 30.09.96 द्वारा जनभागीदारी समिति के निधि के व्यय के संबंध मं जारी निर्देश क्रमांक (छ) अनुसार समिति की निधि का उपयोग सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जावेगा। अतः उपरोक्त वयय नियमानुसार नहीं है। कृपया इस राशि का समायोजन कर आडिट को अवगत करावें।	[illegible] व्यय की गई है किन्तु जनभागीदारी निधी के दिशा निर्देश की जानकारी नही होने के कारण व्यय की गई है भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नही की जायेगी। कृपया आपत्ति विलोपित करने का कष्ट करेंगे।	यथावत। [signature] संयुक्त संचालक (वित्त) उच्च शिक्षा, संचालनालय रायपुर (छ.ग.)

[signature]
PRINCIPAL
Govt. Danteshwari Mahila Mahavidhyalaya
JAGDALPUR